न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./182/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
मोहनदास पुत्र गोपालदास, जाति सन्त, उम्र 75 वर्ष, निवासी जानियाना, तहसील पचपदरा, हाल समदड़ी रोड़ बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।	1. भोपाराम पुत्र वागाराम उर्फ वगताराम, जाति रबारी, निवासी जानियाना, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा, जिला बालोतरा। 3. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 218/2008 बउनवान भोपाराम बनाम मोहनदास वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री देवी सिंह महेचा अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी उतरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–29.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम जानियाना, तहसील पचपदरा के खेत के पुराने खसरा संख्या 326 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा खातेदार मिसराराम पुत्र मांगाराम उर्फ मगाराम जाति दरोगा, ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा से दिनांक 28.10.1991 को दोनों के द्वारा जरिये लेख्य पत्र खातेदारी भूमि हक हिस्सा बेचान के एक ही दिन में बराबर बराबर हिस्स खरीद किया गया तथा पंजीयन दस्तावेजों में दोनो के पड़ौस व दोनों क्रेता यानी कि अपीलांट व रेस्पों. की एक दूसरे के दस्तावेज में साख डाली तथा शांति पूर्वक दस्तावेज में अंकित पड़ौस अनुसार नामान्तरकरण भरा गया। अपीलांट का खसरा संख्या 461/326 क्षैत्रफल 16 बीघा 18 बिस्वा तथा रेस्पों. संख्या 1 का खसरा संख्या 460/326 क्षैत्रफल 16 बीघा 18 बिस्वा का भरा जाकर नामान्तरकरण के पुश्त पर दोनो के हक हिस्से विभाजित कर उसी के मुताबिक दोनों द्वारा कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग दोनों खातेदारान के खरीदशुदा खेत के बदिशा उत्तर में खसरा संख्या 326/1 में अपने–अपने हिस्से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यानी कि आधा हिस्सा पर कब्जा–काश्त कायम कर उत्तर दिशा की तरफ रोड़ पर आवागमन शांतिपूर्ण किया जाकर दोनो खातेदारान यानी कि अपीलांट व रेस्पों. के द्वारा सहमति से बदिशा पूर्व में रेस्पों. संख्या 1 तथा बदिश पश्चिम में गांव की आबादी की तरफ अपीलांट का कब्जा–काश्त कायम किया जाकर बीच में अपीलांट द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से पट्टियां व तारबंदी लगा कर अपने खेत की तारबंदी की गई व उसी के मुताबिक कब्जा–काश्त दोनों के द्वारा किया जा रहा है। किन्तु रेस्पों. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों. संख्या 1 के द्वारा पेश अपीलाधीन वाद पत्र को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजों से परे जाकर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेचान दस्तावेज दिनांक 28.10.1991 एवं नामान्तरकरण दिनांक 22.02.1992 की तरफ गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश बिना पारित किया गया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम जानियाना, तहसील पचपदरा के खेत के पुराने खसरा संख्या 326 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा खातेदार मिसराराम पुत्र मांगाराम उर्फ मगाराम जाति दरोगा, ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा से दिनांक 28.10.1991 को दोनों के द्वारा जरिये लेख्य पत्र खातेदारी भूमि हक हिस्सा बेचान के एक ही दिन में बराबर बराबर हिस्स खरीद किया गया तथा पंजीयन दस्ताव़ेजों में दोनों के पड़ौस व दोनों क्रेता यानी कि अपीलांट व रेस्पों. की एक दूसरे के दस्तावेज में साख डाली तथा शांति पूर्वक दस्तावेज में अंकित पड़ौस अनुसार नामान्तरकरण भरा गया। अपीलांट का खसरा संख्या 461/326 क्षैत्रफल 16 बीघा 18 बिस्वा तथा रेस्पों. संख्या 1 का खसरा संख्या 460/326 क्षैत्रफल 16 बीघा 18 बिस्वा का भरा जाकर नामान्तरकरण के पुश्त पर दोनो के हक हिस्से विभाजित कर उसी के मुताबिक दोनों द्वारा कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग दोनों खातेदारान के खरीदशुदा खेत के बदिश उत्तर मे खसरा संख्या 326/1 में अपने–अपने हिस्से यानि कि आधा हिस्सा पर कब्जा–काश्त कायम कर उत्तर दिशा की तरफ रोड़ पर आवागमन शंतिपूर्ण किया जाकर दोनो खातेदारान यानि कि अपीलांट व रेस्पों. के द्वारा सहमति से बदिशा पूर्व में रेस्पों. संख्या 1 तथा बदिशा पश्चिम में गांव की आबादी की तरफ अपीलांट का कब्जा–काश्त कायम किया जाकर बीच में अपीलांट द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से पट्टियां व तारबंदी लगा कर अपने खेत की तारबंदी की गई व उसी के मुताबिक कब्जा–काश्त दोनों के द्वारा किया जा रहा है। किन्तु रेस्पों. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों. संख्या 1 के द्वारा पेश अपीलाधीन वाद पत्र को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजों से परे जाकर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेचान दस्तावेज दिनांक 28.10.1991 एवं नामान्तरकरण दिनांक 22.02.1992 की तरफ गौर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। क्योंकि रेस्पों. खसरा नवंर अलग होना बता रहा है लेकिन तरमीम नहीं होना बता कर अपीलाधीन वाद प्रस्तुत किया था। जबकि वक्त खरीद किये लेख्य पत्र खातेदार बेचान अपीलांट/प्रतिवादी के हक–हिस्सा में प्रदर्श ए–7 व रेस्पों. संख्या 1/वादी के पक्ष में बेचान ई एक्स–ए–1 कियां गया है। जिसमें दोनों की एक दूसरे के पक्ष में साख डाली गई है। दस्तावेज में अंकित पडौस के अनुसार वक्त खरीद के बाद नामान्तरकरण प्रदर्श ई एक्स 6 रेस्पों. भोपाराम का है तथा नामान्तरकरण प्रदर्श ए 3 के पडौस में अपीलांट व रेस्पों. के पडौस अलग–अलग दर्शा कर, नामान्तरकरण की पुश्त पर अलग–अलग तरमीम दर्शाई हुई है। जो दस्तावेज अपीलांट एवं रेस्पों. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्शित करवाये गये हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वादी/रेस्पों. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 181 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तरमीम किस प्रकार से होनी चाहिये के बिन्दु पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिक तथ्यों की घोर अवहेलनाकारित निर्णय है। जबकि तरमीम दुरूस्ती हेतु राजस्थान भू–रांजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के तहत तरमीम दुरूस्ती किये जाने के प्रावधान निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2008 जो गांव के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष बनाई गई है जो पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रदर्शित करवाई गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेचान दस्तावेज दिनांक 28.10.1991 एवं नामान्तरकरण दिनांक 22.02.1992 व मौका रिपोर्ट के तथ्यों पर गौर किये बिना ही विधि के विपरीत जाकर बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण मे साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर विधि अनुसार वर्णन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पों. संख्या 01 द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्ट्री खरीद की गई थी। खरीद के बाद से रेस्पों. संख्या 1 का लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्श संख्या 3 में तरमीम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब कर मौका रिपोर्ट अनुसार एवं रेस्पों. संख्या 1 के कब्जा–काश्त अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पों. संख्या 1 के पक्ष में आवंटन आदेश सभी सक्षम न्यायालयों द्वारा सही माना गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त आवंटित आराजी के समानन्तर रेस्पों का कब्जा था। जिस अनुसार ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील बिना किसी विधिक तथ्यों के ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

केवल अपीलाधीन निर्णय के जरिये मिले न्याय को बाधित करने हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। जिस पर अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए विधि संगत निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में मौका अनुसार तहसीलदार, पचपदरा द्वारा मौका रिपोर्ट तलब कर बाद जांच दस्तावेज के आधार पर रेकार्ड में तरमीम की गई है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है। जहां तक तरमीम दुरूस्ती का प्रश्न है तो उक्त के संबंध में उभयपक्षकारान सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर विधि अनुसार चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 218/2008 बउनवान भोपाराम बनाम मोहनदास वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2025 को यथावत रखा जाता है।

29/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर (नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर